मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ–8–3/2013/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 17 जुलाई, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषयः– **निःशक्तजनों की नियुक्ति के पश्चात जिला मेडिकल बोर्ड से निःशक्तता प्रमाण–पत्र का परीक्षण कराये जाने बाबत।**

संदर्भः– **इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20 जनवरी, 2014**

—0—

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 8–4/2001/ आ.प्र./एक, दिनांक 30 जून, 2001 द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में निःशक्तजनों के लिये 06 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार दिया गया है:–

1.	दृष्टि बाधित	02 प्रतिशत
2.	श्रवण बाधित	02 प्रतिशत
3.	अस्थि बाधित	02 प्रतिशत

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निःशक्तजनों के पदों को वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से विशेष भर्ती अभियान के तहत रिक्त पद भरने के संबंध में समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं।

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवाओं में जिन निःशक्तजनों का चयन हुआ है, उनके निःशक्तता प्रमाण–पत्र की जांच आवश्यक रूप से की जाय। उनकी नियुक्ति आदेश के बाद उनको कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व उनको पूर्व में जारी किये गये निःशक्तता प्रमाण–पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जाए। जांच में यदि 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता पाई जाती है तभी उनको कार्यभार ग्रहण कराया जाय, अन्यथा नहीं।

—2—

ये निर्देश शासकीय कार्यालयों के अलावा, विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों, आयोग, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं, शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ–8–3/2013/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 17 जुलाई, 2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म.प्र. शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय.
15. आयुक्त, उद्योग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
16. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण, तुलसी नगर, भोपाल।
17. आयुक्त, निःशक्तजन मध्यप्रदेश, कम्युनिटी हॉल, न्यू मार्केट, टी.टी.नगर, भोपाल
18. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल।
19. उप संचालक, विशेष रोजगार कार्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश।
20. समस्त जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय, म0प्र0।

21 अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय!

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग